न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 44/2018

1. राजेन्द्र सिंह
2. योगेश कुमार
3. सुजानसिह

} पिसरान मुंशी जाति जाट निवासी माढापुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टान

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र मुंशी
2. शकुन्तला पुत्री मुंशी
3. विद्या वेवा मुंशी
4. राजेन्द्री
5. मीरा
6. सरोज
7. भगवानदेई
8. राधा

} पुत्रियां मुंशी

} जाति जाट निवासी माढापुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार रूपवास नामान्तरकरण संख्या 2632 दिनांक 07.06.2018 वाकै ग्राम माढापुरा तहसील रूपवास।

उपस्थित :– 1. श्री राजेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलान्टान
2. तालेराम, अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 31.03.2021

अपीलान्टान ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 07.06.2018 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नामान्तरकरण संख्या 2632

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

ग्राम माढापुरा तहसील रूपवास विरासत का रैस्पों के नाम स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 2632 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तलबी की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एवं मौका/रिपोर्ट के विपरीत होने से काबिल खारिजी के है। अधीनस्थ यायालय ने राजस्व कैम्प के लिये अपीलान्ट को उपस्थिति होने का कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही सुनने का अवसर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया है कि मृतक पिता मुंशी की मृत्यु के वाद सक्षम न्यायालय में चले जिनमें पक्षकारान के मध्य न्यायालय भू प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष दिनांक 07.08.2004 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया इस राजीनामा के तहत विवादित आराजी कुल किता 11 रकवा 26 वीघा 3 विस्वा अपी0 के हिस्से में रैस्पो0 ने छोड दिया क्योकि रैस्पो0 संख्या 1 के हक में पूर्व में ही पिता मुंशी की मृत्यु के बादद आराजी किता 4 रकवा 7 वीघा 3 विस्वा का दाखिल खारिज संख्या 1535 स्वीकार हो चुका है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने तर्को में जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 2632 दिनांक 07.06.2018 मृतक मुंशी के विरासत का रैस्पो0 के हक में स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही पारित किया गया है इसमें किसी भी प्रकार कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अन्त में योग्य अभिभाषक रैस्पो0 ने अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.07.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। नामान्तरकरण संख्या 2632 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन

नामान्तरकरण संख्या 2632 मुंशी पुत्र रघुवीर कौम जाट की विरासत का इन्तकाल विद्यादेवी पत्नी मुंशी, शकुन्तला, राजेन्द्री, मीरा, भगवानदई, सरोज, राधा पुत्रीयान मुंशी, मोहन, राजेन्द्र, सुजान, योगेश पिस0 मुंशी के नाम दर्ज हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध सजरा प्रमाण पत्र से मुन्शी के उक्त वारिसों के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्पष्ट है। मुताविक इन्तकाल सम्पूर्ण आराजी समस्त वारिसान के नाम व हिस्सा बराबर दर्ज की गई है। जहां तक माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहां चली अपील में राजीनामा का प्रश्न है तो नकल निर्णय दिनांक 04.12.2004 उनवान विद्यादेवी बनाम बनाम महेन्द्र सिंह में न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर अपील को खारिज किया है। राजीनामा के आधार पर विवादित आराजी में विभाजन से संबंधित कोई स्पष्ट आदेश माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में नहीं दिया है। जब कोई सक्षम आदेश नम्बरों के विभाजन पर अस्तित्व में नहीं है तो ऐसी स्थिति में समस्त विधिक वारिसान के नाम विवादित आराजी को दर्ज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि नही की है। अतः अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाते है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है किः–

अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ नायव तहसीलदार रूपवास की पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)